



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-07022026-269933
CG-TL-E-07022026-269933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 550]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 580(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) तारीख 25 सितम्बर 2025 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के का.आ संख्या 4372 (ई), दिनांक 25 सितम्बर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिनियम से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् 'खंडवा-अकोला आमान परिवर्तन (एमजी से बीजी) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिनियम का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक भास्कर (हिंदी) व पत्रिका (हिंदी) में हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण संगठन, सिकंदराबाद द्वारा दिनांक 16.10.2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, बुरहानपुर जिले के रत्नापुर, अमुल्लाखुर्द, खनारकला, रंगई और तुकईथड गांव से सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर के समक्ष कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति तथा उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में रत्नापुर, अमुल्लाखुर्द, खकनारकला, रंगई और तुकईथड गांव में विशेष रेल परियोजना अर्थात् खंडवा-अकोला के मध्य अमान परिवर्तन कार्य (एमजी में बीजी) हेतु (भूमि अधिग्रहण) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण :

गांव : रत्नापुर

क्र.स.	प.ह.न.	खसरा संख्या	अजनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित	भूमिधारक का नाम/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	44	214/1	0.0700	सिंचित	सलमान, सोहेल, शाहरूख, अफसाना पिता कादर, शबाना बेवा कादर निवासी ग्राम तुकईथड
2	44	216/1	0.0900	सिंचित	सलमान, सोहेल, शाहरूख, अफसाना पिता कादर, शबाना बेवा कादर निवासी ग्राम तुकईथड
कुल		02	0.1600	-	-

गांव : अमुल्लाखुर्द

क्र.स.	प.ह.न.	खसरा संख्या	अजनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित	भूमिधारक का नाम/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	45	133/1/1	0.0600	सिंचित	नंदायबाई पुत्री जुगरू, रमिता पुत्री जुगरू, निवासी ग्राम अमुल्लाखुर्द
कुल		01	0.0600	-	-

गांव : खकनारकला

क्र.स.	प.ह.न.	खसरा संख्या	अजनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित	भूमिधारक का नाम/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	22	213	0.0800	सिंचित	शासकीय विनोद पिता विठ्ठल, निवासी ग्राम खकनारकला
2	22	218/1	0.0270	सिंचित	रमेश पिता कडू, निवासी ग्राम खकनारकला
3	22	218/4	0.0812	सिंचित	कमलाबाई पति रमेश, निवासी ग्राम खकनारकला
कुल		03	0.1882	-	-

गांव : रंगई

क्र.स.	प.ह.न.	खसरा संख्या	अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित	भूमिधारक का नाम/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	28	388	0.4000	असिंचित	बाबा पिता लालु, तुलसी, सजलाल,
	28	390	0.0200	असिंचित	राजाराम पिता बाबडिंग, सुन्दरबाई, पेटु
	28	391	0.7200	असिंचित	पिता ठोनु, ओंकार, गंगीबाई,
	28	393	0.1400	असिंचित	कमलाबाई, तिलोकचंद, हिरा पिता बाबू, गीता, भोरजली पिता बाबा निवासी ग्राम रंगई
2	28	546/1	0.0800	सिंचित	भावसिंग, रूमसिंग, रूखमाबाई, बारकीबाई पिता भुवानसिंग, गीताबाई बेवा भुवानसिंग निवासी ग्राम रंगई
कुल		05	1.3600	-	-

गांव : तुकईथड

क्र.स.	प.ह.न.	खसरा संख्या	अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित	भूमिधारक का नाम/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	34	104/1	0.0400	सिंचित	विद्या पति जितेन्द्रसिंह, निवासी ग्राम तुकईथड
2	34	285/2	0.0060	असिंचित	जमनादास पिता चुन्नीलाल, निवासी ग्राम तुकईथड
3	34	286	0.0014	व्यवसायिक परिवर्तित	गोरधन पिता सच्चानन, निवासी ग्राम तुकईथड
4	34	282/1	0.0023	व्यवसायिक परिवर्तित	लाजवंतीबाई बेवा सतरामदास, खैराजमल, प्रेमकुमार, प्रकाश, जितेन्द्र, भारती, अमित पिता सतरामदास, निवासी ग्राम तुकईथड
कुल		04	0.0497	-	-
सकल योग		15	1.8179	-	-

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/060226]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण -V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 6th February, 2026

S.O. 580(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4372 (E) dated the 25thSeptember 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 25thSeptember2025 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989(24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Khandwa Akola Gauge Conversion (MG to BG) in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the extract of the said Act was published in the daily newspapers, namely, "Dainik Bhaskar (Hindi) and Patrika (Hindi)" on 16.10.2025 by Hemant Kumar Bhagoria, Chief Engineer/Construction Organization, Secunderabad, under sub-section (4) of Section 20A of the said Act.

And, no objections were received from the villages of Ratnapur, Amullakhurd, Khaknar Kala, Rangai and Tukaithad in Burhanpur district before the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer (Revenue), Nepanagar.

And, in pursuance of sub-section (1) of Section 20D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, the Central Government, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, hereby declares that the land specified in the Schedule appended hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired for the special railway project, namely, gauge conversion work (MG to BG) between Khandwa-Akola (Land Acquisition) in the villages of Ratnapur, Amullakhurd, Khaknar Kala, Rangai and Tukaithad in Burhanpur district of the State of Madhya Pradesh, with or without structures thereon.

Village: Ratnapur

Sr. No.	P.H. No.	Survey No.	Ajni Land Use Land Use Area (in hectares)	Type Irrigated/ Unirrigated	Name of Landholder / Names of Interested Persons
1	44	214/1	0.0700	Irrigated	Salman, Sohel, Shahrukh, Afsana Father Qadar, Shabana widow of Qadar resident of village Tukaithad
2	44	216/1	0.0900	Irrigated	Salman, Sohel, Shahrukh, Afsana Father Qadar, Shabana widow of Qadar resident of village Tukaithad
Total		02	0.1600		

--	--	--	--	--

Village: Amullakhurd

Sr. No.	P.H. No.	Survey No.	Land Area (in hectares)	Type of Land Irrigated/ Unirrigated	Name of Landholder / Names of Interested Persons
1	45	133/1/1	0.0600	Irrigated	Nandabai daughter of Jugru, Ramita daughter of Jugru, resident of village Amullakhurd
Total		01	0.0600		

Village: Khaknar Kala

Sr. No.	P.H. No.	Survey No.	Ajni Land Use Land Use Area (in hectares)	Type Irrigated/ Unirrigated	Name of Landholder / Names of Interested Persons
1	22	213	0.0800	Irrigated	Government Vinod son of Vitthal, resident of village Khaknar Kala
2	22	218/1	0.0270	Irrigated	Ramesh son of Kadu, resident of village Khaknar Kala
3	22	218/4	0.0812	Irrigated	Kamlabai wife of Ramesh, resident of village Khaknar Kala
Total		03	0.1882		

Village: Rangai

Sr. No.	P.H. No.	Survey No.	Ajni Land Use Land Use Area (in hectares)	Type Irrigated/ Unirrigated	Name of Landholder / Names of Interested Persons
---------	----------	------------	---	-----------------------------	--

1	28	388	0.4000	Unirrigated	Baba son of Lalu, Tulsi, Sajlal, Rajaram son of Babding, SundarbaiPetu son of Thonu, Omkar, GangibaiKamlabai, Tilokchand, Hira son of Babu, Geeta, Bhorjali son of Baba resident of village Rangai
	28	390	0.0200	Unirrigated	
	28	391	0.7200	Unirrigated	
	28	393	0.1400	Unirrigated	
2	28	546/1	0.0800	Irrigated	Bhavsing, Roomsing, Rukhmabai, Barkibai son of Bhuvansing, Geetabai widow of Bhuvansing resident of village Rangai
Total		05	1.3600	-	-

Village: Tukaithad

Sr. No.	P.H. No.	Survey No.	Ajni Land Use Land Use Area (in hectares)	Type Irrigated/ Unirrigated	Name of Landholder / Names of Interested Persons
1	34	104/1	0.0400	irrigated	Vidya's husband Jitendra Singh, resident of village Tukaith
2	34	285/2	0.0060	unirrigated	Jamnadas father Chunnilal, resident Village Tukaith
3	34	286	0.0014	commercial conversion	Gordhanfather Sachanan, Village Resident
4	34	282/1	0.0023	professional converted	Lajwantibai widow Satramdas, Khairajmal, Premkumar, Prakash, Jitendra, Bharti, Amitfather Satramdas, resident village Tukaithad
Total		04	0.0497	-	-

TOTAL GROSS	15	1.8179	-	-
----------------	----	--------	---	---

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/060226]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V.